

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 586 / विधि / NGT(CZ) / प्रनिबो / 17,


भोपाल, दिनांक 13 NOV 2017

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बेंच द्वारा प्रकरण क्रमांक 110/2016 (श्री सुखराम बघेल विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य) में दिनांक 17.07.2017 को पारित निर्णय के अनुपालन में मेसर्स इन्डीविजुअल ग्राम- रोहिरा, तहसील-सेवद्व, जिला दतिया स्थित खदान पर पैनल्टी अधिरोपित करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- 1 श्री मोहम्मद कासम खॉन, अध्यक्ष, एसईएसी
- 2 श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी
- 3 डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
- 4 श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
- 5 क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, ग्वालियर

समिति माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में पैनल्टी राशि की गणना संबंधी प्रतिवेदन 07 दिवस में प्रस्तुत करेगी ।


(ए०ए०नि०)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 587 / विधि / NGT(CZ) / प्रनिबो / 17,

भोपाल, दिनांक 13 NOV 2017

प्रतिलिपि :-

- (1) निज सचिव, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल ।
- (2) श्री मो. कासम खॉन, अध्यक्ष, एसईएसी, भोपाल
- (3) श्री प्रशांत श्रीवास्तव, सदस्य, एसईएसी, भोपाल
- (4) डॉ. अभय सक्सेना, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड, भोपाल
- (5) श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी, म.प्र.प्र.नि.बोर्ड
- (6) क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्वालियर
- (7) आई.टी.शाखा प्रभारी